संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, 01, शिवाजी नगर, भोपाल

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 9/08/2024

क्रमांक एफ 17–4/2024/2037/ भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम–2003 अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु गठित विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण तिथि से आगामी दो वर्ष के लिए संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर समेकित पुनरीक्षित पारिश्रमिक **रू 88,506/–** (रू–अठ्ठयासी हजार पॉच सौ छः मात्र) पर उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सा संस्था में निम्नलिखित शर्तो के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क.	संविदा चिकित्सा अधिकारी का नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	डॉ. अलेक्षा डालमिया	अनारक्षित	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल।
2	डॉ. पवित्रा सेंगर	अनारक्षित	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल।
3	डॉ. सिमरन नवानी	अनारक्षित	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
4	डॉ. मेहवश फातिमा	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल
5	डॉ. स्तुति चौहान	अनारक्षित	मास्टरलाल सिंह चिकित्सालय, गैस राहत,भोपाल।
6	डॉ. मोहम्मद शाबाज खान	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल
7	डॉ. सौरभ डोंगरे	अ.जा.	पल्मोनरी मेडिसीन सेंटर, गैस राहत, भोपाल
8	डॉ. दीपक सेबले	अ.जा.	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल।(पदस्थापना–शाकिर अली चिकित्सालय)
9	डॉ. ऐश्वर्या राय	अ.जा.	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
10	डॉ. पूर्वी चौहान	अ.जा.	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल।
11	डॉ. मनमोहन सिंह चौहान	अ.जा.	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
12	डॉ. रूपेन्द्र निरापुरे	अ.जा.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल।
13	डॉ. अजय सोलंकी	अ.जा.	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल। (पदस्थापना–शाकिर अली चिकित्सालय)
14	डॉ. मयंक बलैया	अ.जा.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल।
15	डॉ. प्रियंका	अ.जा.	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल।
16	डॉ. सुनिल नागदिया	अ.जा.	जवाहरलाल चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल।
17	डॉ. ज्योति परमार	अ.जा.	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल।
18	डॉ. अवनिश अहिरवार	अ.जा.	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
19	डॉ. रजनी जाधव	अ.ज.जा.	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल। (पदस्थापना–शाकिर अली चिकित्सालय)

निरंतर.....

20	डॉ. सोनाली सिंह	अ.पि.व.	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल चिकित्सालय,गैस राहत, भोपाल।
21	डॉ. शुभम साहू	अ.पि.व.	पल्मोनरी मेडिसीन सेंटर, गैस राहत, भोपाल
22	डॉ. अजय गौर	अ.पि.व.	कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
23	डॉ. रश्मि ठाकुर	अ.पि.व.	कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
24	डॉ. पुरू श्रीवास	अ.पि.व.	कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
25	डॉ. असलम खान	अ.पि.व.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल।
26	डॉ. बृजेश साहू	अ.पि.व.	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
27	डॉ. विनय चौरसिया	अ.पि.व.	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
28	डॉ. इकराम कुरैशी	अ.पि.व.	कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
29	डॉ. ईरतीजा खान	अ.पि.व.	कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
30	डॉ. सुमित कुमार पटेल	अ.पि.व.	पल्मोनरी मेडिसीन सेंटर, गैस राहत, भोपाल
31	डॉ. समीर मंसूरी	अ.पि.व.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल।
32	डॉ. अलमास कुरैशी	अ.पि.व.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल।
33	डॉ. अनील पाटीदार	अ.पि.व.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल।
34	डॉ. अमान खान	अ.पि.व.	पल्मोनरी मेडिसीन सेंटर, गैस राहत, भोपाल
35	डॉ. नवनीत डांगे	अ.पि.व.	कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. चयनित अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित पदस्थापना चिकित्सालय में अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त काल अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा प्रतिक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी के नियुक्ति किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
2. चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी/संबंधित चिकित्सालय प्रमुख के साथ 500/– रूपए के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय,चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएगें चयनित अभ्यर्थी को उसकी पदस्थापना चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा।
3. प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व, संविदा अधिकारी स्वयं अपने खर्चे पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी। सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को भी,यदि वे संविदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएं,ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करवाना आवश्यक होगा।
4. संविदा चिकित्सा अधिकारी का चरित्र सत्यापन,शासकीय सेवकों पर लागू नियमों /अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल प्रतिवेदन की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए तुरन्त रदद् कर दी जाएगी।
5. नियुक्ति पश्चात् किसी भी समय यदि कोई भी अभिलेख असत्य या छिपाए हुए पाए जाते हैं तो संबंधित की संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त की जाकर संबंधित के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी ।
6. संविदा चिकित्सा अधिकारी शासकीय सेवा में नियमितिकरण के लिए हकदार नहीं होगें और न ही भविष्य में इस नियुक्ति के आधार पर किसी प्रकार के नियमितिकरण का दावा कर सकेगें।

निरंतर......

7. किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय पर एक माह की सूचना या एक माह की संविदा राशि का भुगतान करके संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

8. यदि संविदा चिकित्सा अधिकारी बिना किसी विशिष्ट कारण के, बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।

9. संविदा चिकित्सा अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकेगा /सकेगी। महिला संविदा कर्मचारी, जिसकी दो से कम जीवित संतान हों अधिकतम 180 दिनों की कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियॉ संबंधित इकाई प्रमुख में निहित होगीं।

10. संविदा चिकित्सा अधिकारी उसकी संविदात्मक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि भी देय नहीं होगा।

11. संविदा चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सालय की आवश्यकता अनुसार एवं निर्धारित टाइम टेबिल अनुसार ड्यूटी चिकित्सालय में देनी होगी। अवकाश दिवस में ड्यूटी एवं रात्रिकालीन ड्यूटी का आफ संचालनालय,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमानुसार दिया जावेगा।

12. संविदा चिकित्सा अधिकारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा।

13. संविदा चिकित्सा अधिकारी भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित संविदा नियम–2003 में निहित व समय समय पर शासन/विभाग/चिकित्सालय प्रमुख द्वारा संशोधित/जारी किए गए अन्य प्रावधानों के भी अधीन होगा।

14. संविदा चिकित्सा अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करते समय अपना मध्यप्रदेश मेडिकल काउन्सिल का स्थायी पजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. यह नियुक्ति विशिष्ट चिकित्सा इकाई के लिए होगी व स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

09/08/2024

संचालक
गैस राहत एवं पुनर्वास,
भोपाल

पृ. कमांक/एफ 17–4/संनि./2024/ **भोपाल,दिनांक /08/2024**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,गैस राहत, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. अधीक्षक–कमला नेहरू चिकित्सालय/जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय/इंदिरा गांधी चिकित्सालय /मास्टरलाल सिंह चिकित्सालय/पल्मोनरी मेडिसीन सेंटर/शाकिर अली खान चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित संविदा, चिकित्सा अधिकारी, ...चिकित्सालय गैस राहत,भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संचालक
गैस राहत एवं पुनर्वास,
भोपाल